न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण सं. 33/2004 नया दर्ज 52/13
प्रकरण दायर दिनांक 08.04.2002
प्रकरण निर्णय दिनांक 24.09.2021

उनवान

श्री रामस्वरूप पुत्र रामप्रसाद जाति बैरवा निवासी कीरतपुरा तहसील बसवा जिला दौसा ।

—: वादी

बनामः—

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा जिला दौसा
2. श्रीमति ममता पत्नि सुमेरा सिंह जाति गुर्जर निवासी श्यालावास खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा।
3. श्रीमती मन्जू पत्नि उमराव जाति गुर्जर निवासी श्यालावास खुर्द तहसील बसवा जिला दौसा।

:— प्रतिवादीगण

" दावा अधिघोणा एवं स्थाई निषेदाज्ञा व दुरूस्ती इन्हाज "

::निर्णय::

वादी ने वाद पत्र खिलाफ प्रतिवादी वास्ते अधिघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा व दुरूस्ती इन्द्वाज इस आशय का न्यायालय उप— जिला कलेक्टर बादीकुई में दिनांक 08.04.2004 को पेश किया कि रामा ग्राम कीरतपुरा तहसील बसवा में स्थित साविक ख.न. 98/2 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा का विधिवत वादी को दिनांक 14.05.86 को आवंटन हुआ ओर आवंटन करके आवंटित भूमि का वादी को कब्जा सम्भलाया गया तथा आवंटित भूमि का वादी के हक में गैर खातेदारी का नामान्तरण दिनांक 20.02.1988 को खोल कर जमाबंदी स. 2043—2046 में अमलदरामद किया वादी को आवंटित भूमि का तत्तसमय आंवटित जगह कब्जा सम्भलाया वही पर वादी आज दिनांक तक मौके पर काविज कास्त कर रहा है। वादी ने उक्त भूमि को काफी खर्चा, मेहनत करके उपजाऊ बनाया है वाद ग्रस्त आंवटित भूमि का सैटलमेन्ट द्वारा बनाये गये रिकार्ड वादी को जहाँ भूमि आंवटित का कब्जा सम्भलाया गया वहा पर वादी के नाम रिकार्ड में इन्द्राज नही किया जबकी सैटलमेन्ट को नये रिकार्ड में सैटलमैन्ट के पहले की एन्टरी को रिपीट करना चाहिये। बांदीकुई साविक ख.न. 98/2 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा आवंटित का जहां कब्जा सम्भलाया गया उसका मौके अनुसार नया खसरा नम्बर 846 रकबा 2.02 है0 बनाया है वादी आंवटन के समय आवंटित भूमि का कब्जा प्राप्त करने के वक्त आवंटित रकबा 4 बिघा 4 विस्वा पर आदिनांक तक काविज कास्त चला आ रहा है शेष रकबे पर वादी के पिता का अतिक्रमण है वादी के पिता का अतिक्रमण भी लम्बे समय से वादी के आंवटन से पहले का चला आ रहा है सैटलमेन्ट द्वारा की गई गडबडी का वादी को कतई ज्ञान नही था तहसील बसवा से

Scanned with CamScanner

वादी को उक्त भमि ख.न. 846 पर अतिक्रमण का नोटीस प्राप्त होने पर ज्ञात दावा करना लाजिम आया दावा में वर्णित भूमि ख.न. 846 रकबा 2.02 है0 के 4 बिघा 4 विस्वा रकबे(1.5 है0) ग्राम कीरतपुरा तहसील बसवा का खातेदार व काबिज कास्त वादी को घोषित किया जावे। साथ राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती आदेश फरमावे। आवंटन,नकल जमाबंदी संलग्न कि गई है।

वादी वाद दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी जर्ये सम्मन किया प्रकरण तलबी दौरान प्रतिवादी 2,3 जर्ये प्रा0पत्र आदेश 1/नियम 10 जा.दी आदेशिका दिनांक 21.11.2005 के पक्षकार बनाये गये, प्रतिवादी 2,3 द्वारा जवाब वाद पत्र पेश किया कि वादी वादचरण 1 लगायत 8 अस्वीकार है जवाब वाद पत्र में विशेष विवरण में अंकित किया कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि बावत पूर्व में भी वाद पेश किया जो खारिज हो चुका ,वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2,3 द्वारा पूर्व खातेदार शिवलहरी शर्मा से जर्ये पजीकृत विक्रय पत्र के दिनांक 16.08.2003 को खरीद करली है तथा खातेदार कास्तकार है। जवाब तईद में विक्रय पत्र नकल जमाबंदी वर्ष 2064–67 पेश किये है।

वादी वाद पत्र एवं जवाब वाद प्रतिवादी के अभिवचनो के आधार पर तनकीयात कायम की गई वादी की ओर से वाद की ताईद में बतोर साक्ष्य शपथ पत्र स्वंय वादी रामस्वरूप एवं गवाह साक्ष्य रामचन्द्र पुत्र रामकुवार बैरवा निवासी कीरतपुरा , कन्हैयालाल पुत्र रामकुवार हरसहायपुत्र किशन लाल जाति बैरवा निवासी कीरतपुरा के शपथ पत्र पेश किये, प्रतिवादी 2,3 की ओर स प्रकरण की ताईद में शपथ पत्र प्रतिवादी 3– स्वंय का शपथ पत्र दिनांक 24.07.2013 को पेश किया, उपरोक्त प्रकरण न्यायालय उप जिला कलेक्टर बांदीकुई से स्थानान्तरित होकर न्यायालय हाजा सं. सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक) बांदीकुई को 17.04.2013 प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया प्रकरण साक्ष्य शपथ पत्र जिरह पूर्ण होने पर बहस में नियत किया गया उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की तथा बहस सुनाई गई,।

हमने पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी वादी वकील ने लिखित बहस में अंकित किया है। कि ग्राम कीरतपुरा ख.न.98/2 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा का विधिवतः दिनांक 14.05.86 को वादी को आंवटन हुआ है तथा आवंटन के समय साविक ख.न. का मौके पर वादी को कब्जा सम्भलाया गया है तत्तपश्चात दिनांक 20.02.88 को गैरखातेदार का नामान्तकरण खोला जाकर संवत 2043–2046 में जमाबंदी में अमल किया गया है मौके पर आंवटित भूमि का जंहा कब्जा सम्भलाया वहा पर ही काबिज है, भूमि उबड खाबड थी गरीब वादी ने अपना खुन पसीना बहाकर पैसे लगाकर भूमि को उपजाऊ बनाया है बसवा तहसील में सैटलमेन्ट के समय नये रिकार्ड मे सैटलमेन्ट के पहले की एंट्री को रिपीट करना चाहिये था लेकिन सैटल मैन्ट में साविक ख.न. 98/2 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा भूमि जहां वादी को कब्जा सम्भलाया गया था वहां पर वादी का नाम रिकार्ड मे इन्द्राज नही किया वादी को जहां कब्जा आवंटित भूमि का सम्भलाया गया उसका मौके अनुसार सैटलमेन्ट ने नया खसरा नम्बर 846 रकबा 2.02 है0 बनाया है उक्त ख.न. 846 रकबा 02.02 है. के 4 विघा 4 विस्वा रकबे पर वादी का आवंटन पर कब्जा सम्भलाने के वक्त से वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है मौके पर आज भी काबिज है शेष रकबे पर वादी के पिता का कब्जा कास्त है सैटलमैन्ट को जमाबंदी में एंट्री परिवर्तन का कोई अधिकार नही था सैटलमैन्ट द्वारा किया गया परिवर्तन अवैध प्रभावशुन्य है वादी को भूमि ख.न 846 रकबा 1–05 है0 का खातेदार कास्तकार घोषित किया जावे रिकार्ड नक्शा में दुरूस्ती की जावें शिवलहरी पुत्र भोलानाथ ब्राहमण जागीर बांदीकुई को रहने वाला था तथा आंवटन के समय राज्य कर्मचारी था, तथा भूमि ख.न. 846 रकबा 02.02.है0 किसी भी तरीके से आवंटन का पात्र

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक)
बांदीकुई

Scanned with CamScanner

भी नही था। शिवलहरी का आवंटन न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने खारिज कर दिया था जिसकी अपील को न्यायालय भू-प्रबन्धक अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील चल रही है प्रतिवादी 2,3 श्रीमती ममता व मंजू ने दिनांक 16.08.2003 को अपने हक में विक्रय पत्र पंजीकृत होना बताया है किन्तु दिनांक 16.08.09 के बाद न्यायालय एडीएम दौसा के निर्णय के विरूद्ध अपील न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के अपील पेश की है उक्त अपील में स्वंय शिवलहरी ने ममता, मंजू का कब्जा होना नही बताया है बल्कि गलत तरीके से शिवलहरी का विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2003 के बाद अपना स्वंय का कब्जा बताया है जबकी मौके पर शिवलहरी का कभी कब्जा नही रहा है बल्कि वादी का कब्जा काश्त है न्यायालय हाजा में मुख्य गवाह शिवलहरी था जिसके प्रतिवादीगण 2,3 ने बयान नही कराये। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत वादी स्वंय गवाहन के वाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है प्रतिवादी की तरफ से गवाह श्रीमती मंजू प्रस्तुत हुई जिसने वादग्रस्त भूमि शिवलहरी से खरीदना बताया है जो वर्तमान में ग्राम श्यालावास कलां में रहती है भूमि के बारे में उसके पति के द्वारा जानना बताया है वाद की ताईद में प्रतिवादीगण द्वारा मात्र मंजू देवी प्रतिवादी 3 के बयान कराये है उसके अलावा अन्य कोई गवाहान बयान नही कराये प्रतिवादी द्वारा पति के बयान भी नही कराये। वादी द्वारा पूर्व प्रस्तुत वाद का निर्णय नही हुआ है अदम हाजरी में खारिज हुआ है उससे इस वाद पत्र पर किसी भी प्रकार का विधिक प्रभाव नही पडता , शिवलहरी के आंवटन 8.8.66 को होना बताया है शिवलहरी वादी को आंवटित भूमि जहां वादी का कब्जा है कभी नही आया और न ही शिवलहरी ने कोई दावा किया ,क्योकि शिवलहरी का कब्जा के बारे में स्वंय को कोई पता ही नही है वादी द्वारा वाद ताईद मे नामान्तकरण , मिलान क्षेत्रफल , भूमि आंवटित आदेश खसरा परिवर्तन शील भूमि कब्जा बावत पटवारी हल्का अरनिया रिपोर्ट दिनांक 04.08.2008 प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की।

प्रतिवादी 2,3 अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस में वर्णित किया कि उक्त ख.न. 846 जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र खातेदार शिवलहरी शर्मा से दिनांक 16.8.2003 को क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा विधिक तरीके से खातेदार है वादी का विवादीत भूमि से कोई ताल्लुक नही है वादी ओर वादी का पिता रामप्रसाद वादग्रस्त भूमि को हडपना चाहते है वादी के पिता व वादी ने विवादित भूमि को शिवलहरी शर्मा को खातेदार कास्तकार स्वीकार करते हुये अपने रिश्तेदार लिछमन पुत्र नारायण बैरवा निवासी गढमैडी को भूमि को क्रय करने हेतु एक इकरारनामा विक्रय शिवलहरी से बहक लिछमन बैरवा के हक में दिनांक 02.05.2002 को 100/- स्टाम्प पर 21500 रूपये में निष्पादित कराया और उस पर बतौर गवाह वादी ने हस्ताक्षर किये वादी ने इस दावे से पूर्व शिवलहरी के विरूद्ध प्रस्तुत किया जो दिनांक 07.11.2002 को खारिज हो चुका है इसलिये वादी वाद चलने योग्य नही है प्रतिवादी ने प्रतिवाद के समर्थन में जमाबंदी प्रदर्श-डी-1 असल विक्रय पत्र प्रदर्श 2 वाद संख्या 95/2002 प्रदर्श -3 वाद पत्र खारिज हुआ प्रति प्रदर्श-4 पटवारी हल्का मौका पर्चा कब्जा शिवलहरी का बताया दिनांक 03.05.2002 प्रदर्श-5 व प्रदर्श निर्णय न्यायालय एडीएम दौसा जो विवादित भूमि अलाट मैन्ट खारिज का पेश किया वह खारिज हुआ की पति गवाह प्रतिवादी मजूदेवी डी डब्लू-1 परिक्षित करवाया ओर बताया की दावा खारिज योग्य है वादग्रस्त भूमि अलाटमैन्ट बाबत न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर दौसा में अन्तर्गत धारा 14(4)प्रस्तुत हुआ जो एक पक्षीय कार्यवाही में दिनांक 29.09.2003 को निर्णित हुआ जिसकी अपील संख्या 99/2003 न्यायालय भू-प्रबन्धक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(रामगढ़ पचवारा) दौसा

तिमान

Scanned with CamScanner

जयपुर समक्ष उनवानी शिवलहरी बनाम रामप्रसाद प्रस्तुत की जिसमें अलाटमेन्ट दिनांक 8.08 1966 को सही माना तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा निर्णय दिनांक 29.09.2003 को निरस्त किया गया है इसलिये वादी की वाद चलने योग्य नही है।

Citation- 2019 DNJ(sc) 427 sc or india Jagdish Prasad v/s shivnath civil appeal No 2176 of 2007 decied on 9-04-2019(2019- RB5502) अपील डिक्री टीएन/2120/2003/अलवर न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर किशन सिंह बनाम जयसिंह, जयमल बनाम रमेश अपील डीग्री टी.ए/9118/2008 जयपुर,बंशीलाल बनाम कजोडी लाल अपील डिकी टीएल/ 7268/2007/ बारा तथा S.B Civil Revision petition No 412 of 2003 deeided on 4 April 2003 नजीर पेश की ।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत नजीरो के पत्रावली का अद्योपांत परिशीलन किया एवं पत्रावली का तनकी वाईज विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी न01. आया वादी विवादित आराजी ख0नं0 846 रकबा 2.02 है0 का 1.05 है0 के काविज खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।

तनकी नं02. आया प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

उक्त दोनो तनकीयात को साबित करने का भार वादी पर है । सर्वप्रथम तनकी न01 का विवेचन करना उचित समझते है वादी का मूलतं दावा अधिघोषण एवं स्थाई निषधाज्ञा व दुरुस्ती इन्द्राज प्रतिवादी 1 राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बसवा था जो वाद मे आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवादी 2,3 के रूप में वाद मे स्थापित हुये /पक्षकार बनाये गये है।

वादी वादग्रस्त आराजी ग्राम कीरतपुरा तहसील बसवा मे खसरा नं0 98/2 रकबा 4 बिघा 4 बिसवा का विधिवत प्रक्रिया के दिनांक 14.5.1986 को आवंटन होना तथा आवंटित भूमि का मौके पर वादी का राजस्व अधिकारी/ कार्मिको द्वारा कब्जा संभलाने तथा आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि का गैर खातेदारी नामान्तकरण 20.2.1988 को खोला जाकर राजस्व जमाबंदी 2043-2046 मे अमल किये जाने एवं आवंटित भूमि जो उबड खाबड थी को वादी ने खून पसीना बहाकर काफी पैसे लगाकर उपजाउ बनाकर वर्तमान समय तक काबिज काश्त चला आ रहा है। वादी वाद ग्रस्त भूमि का विधिक रूप से खातेदार काश्तकार के रूप मे काबिज होकर चला आ रहा है। तहसील क्षेत्र के सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट अधिकारी/कार्मिको के द्वारा वादी को आवंटित वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा 98/2 रकबा 4 बिघा 4 बिसवा भूमि पर जहा पर वादी को कब्जा संभलाया गया था । वहां मौके पर काबिज रिकार्ड है के अनुसार एन्ट्री रिपिट करने चाहिये थी लेकीन सेटलमेन्ट द्वारा नया ख0नं0 846 रकबा 2.02 है0 बनाया है। जिसका अधिकार सेटलमेन्ट को नही था जो दुरुस्ती काबिल है उपरोक्त तथ्य वादी द्वारा प्रस्तुत सत्यापित नामान्तकरण मिलान क्षेत्रफल वादी को आवंटित भूमि का आवंटित आदेश 14.05.1986 खसरा परिवर्तनशील पटवारी हल्का अरनिया मौका कब्जा रिपोर्ट 4.08.2008 एव वाद की ताईद मे प्रस्तुत गवाह साक्ष्य शपथ पत्र रामस्वरूप पुत्र रामप्रसाद बैरवा निवासी किरतपुरा हरसहाय पुत्र श्री किशनलाल बैरवा, कन्हया लाल पुत्र रामकुमार बैरवा निवासी किरतपुरा से वाद वादी पक्ष मे वरूय राजस्व रिकार्ड दस्तावेज के होना प्रकट है।

इस के विपरित प्रतिवादी 2,3 के जवाब वाद मे प्रतिवादीया ने वादग्रस्त भूमि के खातेदार शिवलहरी से जर्ये विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा शिवलहरी से प्राप्त कर लेना तथा विधिक तरह

MSM

से खातेदार काश्तकार होना बताया वादी तथा वादी द्वारा वाद ग्रस्त आराजी का पूर्व मे वाद प्रस्तुत किया जो खारिज हो गया है। शिवलहरी को भूमि खं0न0 98/2 8 बीघा दिनांक 08.08 1966 को आवंटित हुई जो वादी को आवेदन से 20 वर्ष पूर्व हुई है। उक्त शिवलहरी की आवंटित भूमि का प्रार्थना पत्र वादी व वादी के पिता का खारिज हो चुका है प्रतिवादीया 2,3 ग्राम कीरतपुरा जमाबंदी वर्ष 2264–67 के दर्ज अनुसार खातेदार काश्तकार होने से वादी वाद खारिज किया जावे।

यहां वाद ग्रस्त भूमि बाबत प्रकरण में यह स्थिति स्पष्ट करना आवश्यक है कि आवंटि शिवलहरी पुत्र भोलानाथ जाति ब्राहम्ण निवासी बसवा रोड जागिर बांदीकुई भूमि आवंटन के समय राजकीय कर्मचारी था तथा बांदीकुई मे निवासी करता था। वादग्रस्त भूमि ग्राम किरतपुरा में स्थित है जिस पर आवंटी शिवलहरी का कभी भी किसी भी रूप मे कब्जा नही रहा है। न ही वर्तमान में वाद के प्रतिवादीयां 2,3 श्रीमती ममता पत्नि सुमेरसिंह, श्रीमती मंजू पत्नि उमराव जाति गुर्जर निवासी श्यालावासखूर्द निवासी है। जिनका भी कब्जा काश्त नही है। प्रतिवदीयां द्वारा वादग्रस्त भूमि यानी कय की गई सम्पती को बिना मौके पर जॉच परखे जर्ये विकय पत्र कय कर लिया जबकि उनको पूरी तरह से जॉच पडताल करनी चाहिये थी। जिससे आज जो विवाद की स्थिति बनी है वा उत्पन्न नही हो पाती । प्रतिवादीयों द्वारा वाद ग्रस्त की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 30.05.2002 प्रस्तुत की है। जिसमें कब्जा बाबत कोई तथ्य नही है न ही प्रतिवादीयों द्वारा प्रतिवाद की ताईद/कब्जा बाबत कोई स्थानीय गवाह दर्ज करवाया है। न ही आवंटी शिवलहरी को गवाह के रूप मे प्रस्तुत किया है प्रतिवादीयों द्वारा कय की गई भूमि बाबत आवंटी के विरूद्व न्यायालय एडीएम दौसा में प्रस्तुत अपील मे निर्णय दिनांक 29.09.2003 के आवंटन खारिज किया गया है लेकिन न्यायालय एडीएम दौसा के उक्त निर्णय विरूद्व अपिल न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर में दायर अपील सं099/03 उनवानी शिवलहरी बनाम रामप्रसाद में निर्णय दिनांक 12.10.2019 के अपील अपीलांट स्वीकार कर न्यायालय एडीएम दौसा निर्णय दिनांक 29.09.2003 निरस्त किया गया है। जिसके विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में वादी द्वारा अपील दायर की हुई है जो जेरकार है। उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर वादी द्वारा वाद ग्रस्त भूमि बाबत प्रस्तुत आवंटन दस्तावेजात नामांतकरण मिलान क्षेत्रफल खसरा परिवर्तनशील मौका कब्जा रिपोर्ट पटवारी हल्का शपथ पत्र गवाहन नकल जमाबंदी सवत 2043–46 के वादी वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 846 रकबा 2.02 है0 में से 1.05 है0 की अधिघोषण दुरूती इन्द्राज राजस्व रिकार्ड करना का अधिकारी है।

तनकी न0 1 आया प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है

तनकी नं0 1 के विवेचन से स्पष्ट है कि वादी विवादीत आराजी भूमि खसरा नं0 846 रकबा 2.02 है0 में से 1.05 है0 ग्राम किरतपुरा तह0बसवा जिला दौसा के बरूये साविक ख.न. 98/2 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा के विधिवत आवंटित खातेदार कब्जा कास्त होने से अपने हितो की सुरक्षा हेतु प्रतिवादी पक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराने का अधिकारी है अगर प्रतिवादीगण को पांबद नही किया गया तो आराजी से वादी को बेदखल करेगे तथा वादी कास्त मे व्यवधान पैदा करेगे। अतः प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि में वादी के कब्जा कास्त मे व्यवधान नही पहुचाने बेदखल नही करने के लिये पावंद करना उचित समझते है। सैटलमेन्ट द्वारा की गई गलत एट्री से वादी का आवंटित कब्जा कास्त खातेदारी भूमि से वांछित नही किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त समग्र विवेचन के मददेनजर वादी का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण काबिल डिक्री पाया जाता है।

अतः आदेश है कि वादी वाद सं. 33/2004 पुन दर्ज 52/2013 विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा विवादित आराजी साबिक ख.न. 98/2 रकबा 4 बीघा 4 विस्वा हाल ख.न. 846 रकबा 02.02 है0 में से 1.05 है0 ग्राम कीरतपुरा तहसील बसवा जिला दौसा का खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्त सीमा तक प्रतिवादिया 2,3 श्रीमती ममता पत्नी श्री सुमेर सिंह गुर्जर, श्रीमती मन्जू पत्नी उमराव गुर्जर निवासी श्यालावास खुर्द का नाम कलम जन किया जाता है एवं राहिन यूको बैक शाखा बांदीकुई से वागुजास्त/रहनमुक्त किया जाता है तहसीलदार बसवा को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा में विधिवत अलम दरामद /दुरूस्ती करे। यूको बैक बांदीकुई प्रतिवादी 2,3 की शेष भूमि से बैंक ऋण वसूली की कार्यवही करे प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि विवादित आराजी में वादी को उक्त भूमि में कब्जा कास्त में व्यवधान पैदा नही करे मौके से बेदखल नही करे न ही अपने नोकरो/एजेन्टो कार्मिको से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बसवा को पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भावना शर्मा)
आरएएस
सहायक कलेक्टर फास्ट-ट्रेक
बांदीकुई जिला दौसा

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) बांदीकुई
24.9.21

Scanned with CamScanner